सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन *03,* बुधवार*, शाके 1946*-सितम्बर 25*, 2024* *Asvina 03, Wednesday, Saka 1946- September 25, 2024*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 24, 2024

जी.एस.आर.39 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14क में संशोधन.- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 (इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियमों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का नियम 14क का निम्नलिखित विद्यमान उपबंध:-

"इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी पदोन्नति की देय तारीख से तीन भर्ती वर्षों के लिए पदोन्नति के लिए निरर्हित कर दिया जायेगा, यदि उसकी दो से अधिक संतानें है:"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"ऐसा व्यक्ति, जिसकी पदोन्नति पर वर्ष 2019-20 तक विचार नहीं किया गया था क्योंकि उसके इस नियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें थीं, की पदोन्नति के लिए उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो गयी थी, विचार किया जायेगा और उसका वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता/करती पर पुनः नियत किया जायेगा, किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके इस नियम के प्रारंभ की तारीख को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020-21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किंतु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा। इस नियम के उपबंधों के अनुसार

पदोन्नत व्यक्ति की पश्चात्वर्ती पदोन्नतियों पर कोई पारिणामिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले से ही पदोन्नत व्यक्ति को, इस नियम के क्रियान्वयन के कारण प्रतिवर्तित नहीं किया जायेगा:"।

3. नियम 20 में संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 के विद्यमान उप-नियम(4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(4) कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक संतानें है:

परन्तु,-

(i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो इस नियम के प्रारंभ की तारीख को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चात्वर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(iii) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।

(iv) कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है, उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

(v) इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विच्छिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, इस उप-नियम के प्रारम्भ की तारीख से 280 दिवस के भीतर किसी संतान का जन्म निरर्हता नहीं होगी।"

[सं. एफ. 3(33)डीओपी/ए-2/85 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 24, 2024

G.S.R.39 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby make the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Rule 14A:- The following existing provision of Rule 14A of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 (herein after referred as "said Rules")**:-**

"A Government Servant shall be disqualified for promotion for three recruitment years from the date his promotion becomes due, after commencement of these rules, if he has more than two children."

shall be substituted by the following, namely:-

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after commencem ent of this rule shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after commencement of this rule and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this rule:**"**

3. Amendment in Rule 20:- The existing sub-rule (4) of Rule 20 of the said Rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(4) No candidate shall be eligible for appointment. If he has more than two children.

Provided that :-

(i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for appointment so long as the number of children he/she has on the date of commencement of this rule, does not increase.

(ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

(iii) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

(iv) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such the remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

(v) the provisions of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow and divorcee women.

Explanation :- For the purpose of this sub-rule birth of a child within 280 days from the date of commencement of this sub rule shall not constitute disqualification."

[No. F.3(33)DOP/A-II/85 Pt.]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.